

किसान धरने पर बैठे, रहवासियों ने दी दो हजार आपत्तियाँ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल विकास योजना-2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर गुरुवार को किसानों और रहवासियों ने विरोध जताया। मुगालिया छाप के किसान कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट में शामिल करने के विरोध में पैदल मार्च कर भोपाल पहुंचे।

मिसरोद के रहवासियों ने पुरानी आबादी के बीच प्रस्तावित 45 मीटर सड़क हटाने की मांग को लेकर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को लिबरफ्रंट, फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट में शामिल करने के विरोध में पैदल मार्च कर भोपाल पहुंचे।

प्रदेश के कर्मचारी इस बार मनाएंगे काली दीपावली

► **केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने और 10 महीने का एरियर जारी करने की मांग**

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में देरी से नाराज मध्यप्रदेश के कर्मचारियों ने दिवाली से पहले 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर वे काली दिवाली मनाएंगे। इस संबंध में कर्मचारियों ने शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय के डाक भवन के सामने



प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी से 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे रही है, जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 58 प्रतिशत ही मिल रहा है। उनके मुताबिक, प्रदेश के कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से बढ़ोतरी का इंतजार है। उन्होंने जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ भत्ता लागू करने और 10

महीने का एरियर देने की मांग की। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत दी जा चुकी है, जबकि अन्य कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है। उन्होंने गैस, पेट्रोल-डीजल, दूध, चावल, शक्कर और दाल के बढ़ते दामों से घरेलू बजट बिगड़ने की बात कही। प्रदर्शन में विभिन्न विभागों के कर्मचारी और संघ पदाधिकारी शामिल हुए।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से सातवीं के छात्र की मौत

नग्न, भोपाल : भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में 6 अक्टूबर को हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसे 13 वर्षीय छात्र कृष्णा नायक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह अपने पिता को गाड़ी की चाबी देने के प्रयास में हादसे का शिकार हुआ था पुलिस के मुताबिक कृष्णा नायक पिता खजान सिंह नायक नीलबड़ के शिव नगर फेस-2 में रहता था। वह सातवीं कक्षा का छात्र था। घटना के दिन कृष्णा ने अपने पिता से गाड़ी की चाबी मांगी थी। पिता ने चाबी नीचे फेंककर देने का प्रयास किया, लेकिन चाबी घर के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में जाकर अटक गई। चाबी निकालने के लिए कृष्णा ने वाइपर का सहारा लिया। इसी दौरान वह हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया और करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। परिवजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही। गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरुवार दोपहर परिजनों की मौजूदगी में छात्र के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ देगा धरना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने संविदा कर्मचारियों और श्रमिकों को दीपावली से पहले बोनस भुगतान नहीं किए जाने पर विरोध जताया है। वहां जहांगीराबाद थाने के आउटसोर्स और सॉनिदा कर्मचारियों को समय पर वेतन, भत्ते और बोनस देने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद संबंधित संस्थाओं द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनके अनुसार, मंत्रालय के श्रम विभाग ने भी श्रमायुक्त, इंदौर को समय पर भुगतान सुनिश्चित

आयोगों में बोनस भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि श्रमायुक्त ने कई बार आउटसोर्स और सॉनिदा कर्मचारियों को समय पर वेतन, भत्ते और बोनस देने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद संबंधित संस्थाओं द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनके अनुसार, मंत्रालय के श्रम विभाग ने भी श्रमायुक्त, इंदौर को समय पर भुगतान सुनिश्चित

करने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। महासंघ ने कहा कि भुगतान में देरी से कर्मचारियों और श्रमिकों में आक्रोश और असंतोष है। बोनस भुगतान की मांग को लेकर महासंघ 28 अक्टूबर को दोपहर 1.30 बजे श्रम विभाग के सामने धरना-प्रदर्शन करेगा। महासंघ ने कहा कि प्रदर्शन के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होगा।

जहांगीराबाद थाने में जब्त वाहनों में लगी आग, एमपी नगर में कार जली

एक घंटे के अंतराल में हुई घटनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नए शहर में गुरुवार दोपहर एक घंटे के अंतराल में आग लगने की दो घटना हुईं। एमपी नगर में सड़क किनारे खड़ी कार जहां रहस्यमय ढंग से जल गई, वहां जहांगीराबाद थाने में जब्ती के कंडम वाहनों में आग भड़क उठी। इससे करीब आधा दर्जन चार पहिया और कई दोपहिया वाहन खाक हो गए। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है।

एमपी नगर थाना इलाके के जेन-2 में राजश्री गर्ल्स होस्टल के पास दोपहर करीब 12 बजे सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक आग लग गई। धू-धूकर जलती कार को देखकर राहगीरों ने फायरब्रिगेड को सूचना दी। फायर कर्मचारियों ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर एक बजे जहांगीराबाद थाने के सामने मैदान में पड़े कंडम वाहनों के ढेर में अचानक आग भड़क गई। सूचना मिलने पर बोगदापुल एवं माता मंदिर फायर स्टेशन से दमकलें रवाना की गईं। फायर कर्मचारी चैतन्य ने बताया कि आग काफी फैल चुकी



थी। लगभग आधा घंटे की मशकत के बाद आग पर पूरी तक नियंत्रण कर लिया गया। इस घटना में कई वाहन खाक हो चुके थे। जहांगीराबाद थाना पुलिस के मुताबिक वाहन कई वर्ष पुराने थे, जो पूरी तरह कंडम हो चुके थे। वाहनों में आग लगने की वजह के बारे में पता लगाया जा रहा है।

पाँच प्रकार के इत्र से होगा बाबा बटेश्वर का अभिषेक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: श्रीबड़वाले महादेव मंदिर सेवा समिति द्वारा शुक्रवार को शुक्र प्रदोष पर्व पर बाबा बटेश्वर का महा रुद्राभिषेक एवं श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर समिति के संजय अग्रवाल एवं प्रमोद नेमा ने बताया

प्रदोष काल में शुक्र ग्रह की शांति एवं उनकी कृपा के लिए बाबा बटेश्वर का पांच प्रकार के इत्र एवं विजया से रुद्राभिषेक किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के फूल व रत्नों से श्रृंगार कर रात्रि 10 बजे महाआरती की जाएगी।

झांकी के साथ चल रहे 11 वीं के छात्र पर किया जान लेवा हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: हनुमानगंज थाना इलाके में बुधवार रात झांकी के साथ चल रहे 11 वीं के छात्र पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में वह हत्या के मामले में भी जेल जा चुका है। हनुमानगंज थाना पुलिस के मुताबिक 17 वर्षीय ईशान विश्वकर्मा छोला मंदिर इलाके में रहता है और ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ता है। बुधवार देर रात वह मोहल्ले की झांकी लेकर दोस्तों के साथ विसर्जन के लिए जा रहा था। हमीदिया रोड पर बर्फी हाउस के पास पहुंचने पर मोहल्ले में रहने वाले गुलशन मिश्रा ने उससे गालीगलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले से बचने के लिए ईशान घूम गया था। इससे चाकू उसकी पीठ और कमर में लगा था। झांकी में मौजूद लोगों ने किसी तरह ईशान को बचाया और उसे तत्काल हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को पृच्छाछल को पता चला कि झांकी निकलते समय पूर्व में भी गुलशन और ईशान का विवाद हुआ था। इसी विवाद का बदला लेने गुलशन ने ईशान पर हमला किया है।

परिशिष्ट B-संख्यांक 13 जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल नोटिस प्रकाशन हेतु उत्तराधिकार	एमजेसी एफएससी /175/2026 आलेख श्रीवास्तव बनाम शिखा यादव NEXT DATE :18-11-2026 प्रेषिती, सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदन आलेख श्रीवास्तव पता-मकान नंबर 50 डी.के. हनी होम्स, नयापुरा थाना कोलार जिला भोपाल ने मृतक श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव एवं सुधा श्रीवास्तव की राशि संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक २३-११-२०२६ को निवत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक २३-११-२०२६ को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख ३०-०९-२०२६ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। कृपया ध्यान दें:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।
श्रीमती मेधा अग्रवाल, न्यायाधीश पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)	20१९

परिशिष्ट B-संख्यांक 13 जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल नोटिस प्रकाशन हेतु उत्तराधिकार	एमजेसी एफएससी /१८०/२०२६ कपिल कुमार शायक बनाम सर्वसाधारण NEXT DATE :2३-1१-2०2६ प्रेषिती, सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदन कपिल कुमार शायक पता-मकान नंबर ०३ अशोक नगर पुल बोगदा रायसेन रोड भोपाल एम पी ने मृतक वैभव शायक की राशि संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक २३-११-२०२६ को निवत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक २३-११-२०२६ को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख ०६-१०-२०२६ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। कृपया ध्यान दें:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।
श्रीमती मेधा अग्रवाल, न्यायाधीश पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)	२०१८

कार्यालय रा. नि. मण्डल बैरागढ़, संत हिरदयाराम नगर बैरागढ़ वृत्, जिला भोपाल	क/ रा.नि./सं.हि.नं.२/२०२६ भोपाल हि. १५.१०.२०२६
सूचना-पत्र	रा.प्र.क. ०११२/३-३/२०२६-२७ प्रति, १. पारस हाउसिंग इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री तेजा सिंह मूलवंदानी आ. श्री राजलत्तास मूलवंदानी २. श्री हिममत सिंह आ. श्री रामलाल, निवासी इजूर, भोपाल ३. श्री अर्जुन सिंह आ. प्रेमनारायण सिंगरोली, निवासी पीपलसर, आ. अदुलत हकीम विषय:- भूमि का बंटाना करने बाबत। संदर्भ:- राजस्व प्रकरण क्र. ०११२/३-३/२०२६-२७ उपरोक्त विधायोक्ति न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक ०११२/३-३/२०२६-२७ में आवेदक संस्था पारस हाउसिंग इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री तेजा सिंह मूलवंदानी आ. श्री राजलत्तास मूलवंदानी ने खसरा क्रमांक १८२/२१/१४कबा ०.३८३० हेक्टरपर स्थित ग्राम पीपलसर, संत हिरदयाराम नगर बैरागढ़ वृत्, जिला भोपाल का बंटाना करने हेतु आदेश प्राप्त हुए हैं। उक्त आदेश के पालन में भूमि का बंटाना किए जाने के संबंध में मेरे द्वारा खलत पर दिनांक २७.१०.२०२६ को प्रत्येक दोहर १.०० बजे स्थल निरीक्षण / सर्वे काट किया जाना निश्चित किया है। पड़ोसी कुक्क/भूखण्ड धारी होने के कारण आपको सूचित किया जाता है कि आप निवत प्रकरण को मौके पर उपस्थित रहकर अपना पक्ष सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के परचत कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी एवं माण्डल विधमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
राजरस्य-निरीक्षक संत हिरदयाराम नगर बैरागढ़ वृत् भोपाल (म.प्र.)	२०१७

कार्यालय सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रखेत्र-२,अयोध्या नगर, भोपाल	आम सूचना अयोध्या एक्सप्लोरेशन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक एच. आई. जी. ६८ थी-सेक्टर मण्डल द्वारा सुश्री कोशा राज रितिका पुत्री श्री के. सुनील राव के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक ३०/११/१९९४ को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। डॉ. डी.एस. कटार आत्मज श्री टी.आर. कटार (पिता जी) की दिनांक ३१/८/२०२४ एवं श्रीमती सुधा कटार पत्नी डॉ. डी.एस. कटार (माता जी) की दिनांक ८/१०/१९९३ को मृत्यु होने के उपरान्त उनके पुत्र श्री योगेश कटार आत्मज एवं, श्री दयाशंकर कटार उक्त भवन अपने एकल नाम पर नामान्तरण करने हेतु पूर्व में ऑन-लाइन दिनांक १९/२/२०२५ आवेदन, शायक पत्र, मूल आवंटि के अन्य वारिसों का अनपत्ति शपथ-पत्र परिवार पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं मण्डल प्राप्य में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, परंतु श्री योगेश कटार द्वारा भवन के विरुद्ध कबजा राशि जमा नहीं होने के कारण नामान्तरण आवेदन निरस्त किया गया है। श्री योगेश कटार द्वारा संपत्ति के नामान्तरण हेतु पुनः १४/१०/२०२६ को ऑन-लाइन आवेदन कर अपने एकल नाम पर नामान्तरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति श्रीमती मनोरमा जैन पत्नी श्री सुभाष चन्द जैन एवं श्री सिद्धार्थ जैन आत्मज श्री सुभाष चन्द जैन के संयुक्त नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचारधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो १५ दिवस के अन्दर लिखित रूप से मध्य सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के परचत कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी एवं माण्डल विधमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रखेत्र-२ भोपाल	२०१६

कार्यालय सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रखेत्र-२,अयोध्या नगर, भोपाल	आम सूचना अशोका गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल प्लेट/भवन क्रमांक एच.आई.जी. ११ (द्वितीय तल) मण्डल द्वारा डॉ. डी.एस. कटार आत्मज श्री टी.आर. कटार के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक ३०/११/१९९४ को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। डॉ. डी.एस. कटार आत्मज श्री टी.आर. कटार (पिता जी) की दिनांक ३१/८/२०२४ एवं श्रीमती सुधा कटार पत्नी डॉ. डी.एस. कटार (माता जी) की दिनांक ८/१०/१९९३ को मृत्यु होने के उपरान्त उनके पुत्र श्री योगेश कटार आत्मज एवं, श्री दयाशंकर कटार उक्त भवन अपने एकल नाम पर नामान्तरण करने हेतु पूर्व में ऑन-लाइन दिनांक १९/२/२०२५ आवेदन, शायक पत्र, मूल आवंटि के अन्य वारिसों का अनपत्ति शपथ-पत्र परिवार पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं मण्डल प्राप्य में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, परंतु श्री योगेश कटार द्वारा भवन के विरुद्ध कबजा राशि जमा नहीं होने के कारण नामान्तरण आवेदन निरस्त किया गया है। श्री योगेश कटार द्वारा संपत्ति के नामान्तरण हेतु पुनः १४/१०/२०२६ को ऑन-लाइन आवेदन कर अपने एकल नाम पर नामान्तरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति श्री योगेश कटार आत्मज एवं, श्री दयाशंकर कटार के एकल नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचारधीन है। यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो १५ दिवस के अन्दर लिखित रूप से मध्य सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पचावत् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी एवं माण्डल विधमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रखेत्र-२ भोपाल	२०१५

कार्यालय सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रखेत्र-२,अयोध्या नगर, भोपाल	आम सूचना अशोका गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल भूखण्ड/भवन क्रमांक ६३ प-सेक्टर मण्डल द्वारा श्री अदुलत जमील आत्मज श्री अदुलत मजीद के नाम भांडकव्य खरीद क्रम के आधार पर आवेदन आदेश क्र. ६१८-१९ दिनांक १२/०३/१९८० को आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक २५/१०/१९९१ को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री अदुलत जमील आत्मज श्री अदुलत मजीद द्वारा भवन का विक्रय विलेख दिनांक १५/०३/२०१० के आधार पर पंजीयक कार्यालय से निष्पादित काराकर श्री निशार खॉ आत्मज श्री छोटें खॉ साहब को विक्रय कर दिया गया है। परन्तु क्रेता/कि्रेता द्वारा मण्डल से हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं कराई गई। अब संपत्ति के क्रेता श्री निशार खॉ द्वारा आवेदन पत्र, शायक-पत्र (स्वयं का) एवं मण्डल प्राप्य पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक १५/०३/२०१० के आधार पर पंजीयक कार्यालय से निष्पादित काराकर श्री निशार खॉ आत्मज श्री छोटें खॉ साहब को विक्रय कर दिया गया है। परन्तु क्रेता/कि्रेता द्वारा मण्डल से हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं कराई गई। अब संपत्ति के क्रेता श्री निशार खॉ द्वारा आवेदन पत्र, शायक-पत्र (स्वयं का) एवं मण्डल प्राप्य पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक १५/०३/२०१० के आधार पर पंजीयक कार्यालय से निष्पादित काराकर श्री निशार खॉ आत्मज श्री छोटें खॉ साहब के नाम पर हस्तान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय विचारधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो १५ दिवस के अन्दर लिखित रूप से मध्य सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पचावत् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी एवं मण्डल विधमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रखेत्र-२ भोपाल	२०१४

दोपहर तक जारी रहा सिलसिला घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम



देर रात तक २ हजार से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में पिछले दो दिनों में २ हजार से अधिक छोटी-बड़ी दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन का सिलसिला गुरुवार सुबह तक जारी रहा। घाटों पर सुरक्षा के लिए चौकसी रखी गई और प्रतिमाओं को क्रैन की मदद से विसर्जित किया गया।

बुधवार रात चल समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें २०० से अधिक प्रतिमाएं और झांकियां शामिल हुईं। विदिशा, गंजबासीदा, सीहोर और

बैरसिया की झांकियां भी भोपाल पहुंचीं। श्री हिंदू उत्सव समिति का चल समारोह रात ८:३० बजे गणेश पूजन और आरती के साथ शुरू हुआ। पहली झांकी सूरज नगर की श्री कालका उत्सव समिति की थी। समारोह में महापौर मालती राय, संत समाज के लोग और समिति के पदाधिकारी शामिल हुए।

चल समारोह के दौरान डीजे सिस्टम की पुलिस द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने पर कुछ देर के लिए काफिला रुक गया। इस बात

को लेकर समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी की पुलिस अधिकारियों से बहस हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ और समारोह आगे बढ़ा।

चल समारोह के कारण शहर के कई रास्ते बंद रहे। भारत टॉकीज ओवरब्रिज के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जहांगीराबाद, हमीदिया रोड और करोंद सहित अन्य मार्गों पर भी यातायात का दबाव रहा। कई लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे।

खेलते-खेलते मासूम के लिए मौत का फंदा बन गया झूला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: स्कूल से लौटने के बाद घर में झूला झूल रहे १० वर्ष के बालक को पता नहीं था, कि यही झूला उसके गले के लिए मौत का फंदा बन जाएगा। झूलने के दौरान कलाबाजी करते समय अचानक रस्सी बुरी तरह उसके गले में कस गई थी। बेसुध हालत में मां उसे अस्पताल ले गई, लेकिन चंद घंटों के बाद मासूम की सांसों की डोर टूट ही गई। छोला छोला मंदिर थाना इलाके में बुधवार दोपहर को हुई। छोला मंदिर थाना पुलिस के मुताबिक चंदन नगर निवासी लवकुमार नामदेव और उनकी पत्नी निजी काम करते हैं। लवकुमार के दो बच्चों में बड़ा बेटा १० वर्षीय तेजस्वी पांचवीं कक्षा का छात्र था। रोजाना की तरह पति-पत्नी काम पर चले गए थे। घर में तेजस्वी और उसकी छह वर्षीय बहन थे। लवकुमार ने बच्चों के मनोरंजन के लिए एच घरे

छज्जे में लगे हुक से रस्सी बांधकर झूला बना दिया था। तेजस्वी स्कूल से आने के बाद झूला झूलता था। बुधवार दोपहर करीब १२ बजे तेजस्वी झूला झूल रहा था,जबकि उसकी बहन खेलने के लिए मकान के ऊपरी कमरे में चली गई थी। कुछ बाद बच्ची नीचे आई,तो उसने भाई को झूले की रस्सी में बुरी तरह फंसा देखा। वह दौड़कर पड़ोस में गई और घटना के बारे में बताया। लोगों ने रस्सी सुलझाकर किसी तरह तेजस्वी को मुक्त किया। उस समय उसकी सांस चल रही थी। उधर बढहवास हालत में घर पहुंची मां बेटे को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंची। उसके उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया। रात भर तक चले डाक्टरों के तमाम प्रयास भी मासूम की जान नहीं बचा सके। रोजाना की तरह पति-पत्नी काम पर चले गए थे। घर में तेजस्वी और उसकी छह वर्षीय बहन थे। लवकुमार ने बच्चों के मनोरंजन के लिए एच घरे